न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 22 सन 2020
अनवान :–

1. नानकोरी पुत्री हरनाम पत्नि श्योचन्द जाति जाट निवासी बरवाली हाल गांधीबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :– श्री कुलदीप खूडिया अधिवक्ता प्रार्थी
निर्णय दिनांक :–01/01/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 13 एनटीआर के खाता संख्या 54/54 के प0न0 373/423(50) किला न0 .1/1 ,1/2 ,2/1 ,2/2 ,3/1 ,3/2 ,8 ता 13 ,18 कुल 2.5300हैक्ट दर्ज है जिसमें प्रार्थीया का नाम ननी पुत्री हरनामसिह दर्ज है एवं रोही मौजा चक 13 एनटीआर के खाता संख्या 53/53 के प0न0 373/423(50) के किला न0 4/1 ,4/2 ,5/1 ,5/2, 6 ,7, 14 ता 17 ,24 ,25 कुल 2.5300हैक्ट दर्ज है जिसमें प्रार्थीया का नानिया पुत्री हरनाम दर्ज

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण ननी पुत्री हरनाम ननिया पुत्री हरनाम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थीया का सही नाम नानकोरी पुत्री हरनाम है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात/जमाबन्दीयों में दर्ज है प्रार्थीया का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थीया के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे, आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड आदि सभी में प्रार्थीया का नाम नानकोरी पुत्री हरनाम दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है अपने कथनों के समर्थन में संरपंच ग्राम पंचायत गाधीबडी का प्रमाण पत्र पेश किया ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम ननी , ननिया पुत्री हरनाम के स्थान नानकोरी पुत्री हरनाम संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्राथ्री का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 13 एनटीआर के खाता संख्या 54/54 के प0न0 373/423(50) किला न0 1/1 ,1/2 ,2/1 ,2/2 ,3/1 ,3/2 ,8 ता 13 ,18 कुल 2.5300हैक्ट दर्ज है जिसमें प्रार्थीया का नाम ननी पुत्री हरनामसिह दर्ज है एवं रोही मौजा चक 13 एनटीआर के खाता संख्या 53/53 के प0न0 373/423(50) के किला न0 4/1 ,4/2 ,5/1 ,5/2, 6 ,7, 14 ता 17 ,24 ,25 कुल 2.5300हैक्ट दर्ज है जिसमें प्रार्थीया का नानिया पुत्री हरनाम दर्ज

प्रार्थी का नाम राजरव रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण ननी पुत्री हरनाम ननिया पुत्री हरनाम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थीया का सही नाम नानकोरी पुत्री

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

हरनाम है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात/जमाबन्दीयों में दर्ज है प्रार्थीया का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थीया के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे, आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड आदि सभी में प्रार्थीया का नाम नानकोरी पुत्री हरनाम दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है अपने कथनों के समर्थन में संरपंच ग्राम पंचायत गाधीबडी का प्रमाण पत्र पेश किया ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम ननी , ननिया पुत्री हरनाम के स्थान नानकोरी पुत्री हरनाम संशोधन करने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया की रोही मौजा चक 13 एनटीआर के खाता संख्या 54/54 की कुल 2.5300हैक दर्ज है जिसमें प्रार्थीया का नाम ननी पुत्री हरनामसिह दर्ज है एवं रोही मौजा चक 13 एनटीआर के खाता संख्या 53/53 की कुल 2.5300हैक दर्ज है जिसमें प्रार्थीया का नानिया पुत्री हरनाम दर्ज

उक्त वाद भूमि में प्रार्थी का नाम ननी , ननिया पुत्री हरनाम दर्ज हैक सायल का कथन है कि उसका सही नाम नानकोरी पुत्री हरनाम है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है

सायल के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का नाम कालुराम पुत्र कान्हाराम दर्ज है राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है व प्रार्थी के नाम के सम्बध में ग्राम पंचायत गांधीबडी ने प्रमाण पत्र भी पेश किया गया है प्रस्तुत साक्ष्यों/सबुतो के अधार प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जा सकता है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर कि रोही मौजा चक 13 एनटीआर के खाता संख्या 54/54 की कुल 2.5300हैक दर्ज है जिसमें प्रार्थीया का नाम ननी पुत्री हरनामसिह दर्ज है एवं रोही मौजा चक 13 एनटीआर के खाता संख्या 53/53 की कुल 2.5300हैक दर्ज है जिसमें प्रार्थीया का नानिया पुत्री हरनाम दर्ज के स्थान पर ननी उर्फ नानकोरी पुत्री हरनाम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 01/01/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
नोहर

क्रमांक : राजस्व / रीडर / 2020 / 136LRA/22 दिनांक :– 01/01/2021

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :– प्रकरण संख्या 22 / 2020 अनवानी नानकोरी बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

प्रंसग :– अनवान :–

1. नानकोरी पुत्री हरनाम पत्नि श्योचन्द जाति जाट साकिन गांधीबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 22 / 2020 अनवानी नानकोरी बनाम सरकार में दिनांक 01/01/2021 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 13 एनटीआर के खाता संख्या 54 / 54 की कुल 2. 5300हैक दर्ज है जिसमें प्रार्थीया का नाम ननी पुत्री हरनामसिह दर्ज है एवं रोही मौजा चक 13 एनटीआर के खाता संख्या 53 / 53 की कुल 2.5300हैक दर्ज है जिसमें प्रार्थीया का नानिया पुत्री हरनाम दर्ज के स्थान पर ननी उर्फ नानकोरी पुत्री हरनाम संशोधन किये जाने के आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner